पत्र सख्या-चे0पो0-25क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 0910062 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 16 नवम्बर , 2009

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/अपील)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/कार्यपालक)अपील /उच्च न्यायालय कार्य /सवोच्च न्यायालय कार्य)/

डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091060 / वाणिज्य कर दिनांक 05-11-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वैट अधिनियम / वैट नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों के मामले में मांगी गयी जमानत की राशि प्रत्येक मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त संदर्भ में उ0प्र0राज्य कर परिषद की बैठक दि0 13-11-09 में, पंजीकृत व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो इस दृष्टि से यह मत स्थिर हुआ है कि जमानत की धनराशि के सम्बन्ध में जारी परिपत्र संख्या-091060/ वाणिज्य कर दिनांक 05-11-09 इस हद तक संशोधित कर दिया जाये कि पंजीकृत व्यापारियों के मामले में (1) नकली प्रपत्र होने पर, (2) अघोषित माल होने या चोरी का फार्म-38 आदि होने पर (3) फार्म-38 का कालम संख्या-6 न भरा होने पर ही वाहन को रोककर माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जमानत वसूली जाये। इसके अतिरिक्त यदि फार्म-38 का कालम -6 भरा है, परन्तु उक्त को भरने में कोई लिपिकीय त्रुटि हो गयी हो तथा फार्म-38 के साथ संलग्न प्रपत्रों से उक्त लिपिकीय त्रुटि होना प्रमाणित है तो ऐसे मामलों में फार्म-38 में उक्त लिपिकीय त्रुटि का उल्लेख करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को सूचित कर दिया जाये तथा वाहन को जाने दिया जाये।

अत: निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-091060 / वाणिज्य कर दिनांक 05-11-09 को उक्त सीमा तक संशोधित मानते हुए शासन द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के मामलों में लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

ह0/

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।

2- अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य कर परिषद, अनुभाग मुख्यालय, लखनऊ।

5- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।

6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

7- चेक पोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियॉ अतिरिक्त।

ह0/

(पी0सी0 तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म्स/चेकपोस्ट)

वाणिज्य कर, मुख्यालय।